उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-17/2019-20

मु0 सुरत अंसारी

बनाम्

मु0 शमसुल हक अंसारी एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक

04/09/19

अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी सं0–1 मु0 शमसूल हक अंसारी के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मु0 सुरत अंसारी, पे0–अली मोहम्मद अंसारी, सा0–वास्ता, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पी0ए0 केश नं0–79/16–17 आदेश दिनांक–01.08.18 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने पी0ए0 केश नं0–79/16–17 आदेश दिनांक–01.08.18 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मो0 शमसूल हक अंसारी, पे0–स्व0 कुदरत अंसारी, सा0–वास्ता, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा को मौजा–वास्ता नं0–226 का प्रधान नियुक्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ठाकुरगंगटी अंचल अन्तर्गत मौजा–वास्ता प्रधानी मौजा है। मौजा के प्रधान मु0 कुदरत अंसारी की मृत्यु के कारण प्रधानी पद रिक्त होने के बाद मु0 शमसूल हक अंसारी, पे0–स्व0 मु0 कुदरत असंारी ने मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए उत्तराधिकारी के आधार पर आवेदन पत्र दाखिल किया। इसके अतिरिक्त एक अन्य आवेदक छोटेलाल हाँसदा के द्वारा भी मौजा–वास्ता के रिक्त प्रधानी पद पद नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन पर अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन संलग्न करते हुए पत्रांक–630/रा0 दिनांक–20.12.2017 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। उस जाँच प्रतिवेदन में प्रथम प्रधान अली मोहम्मद के वंशावली का उल्लेख किया। लेकिन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने उत्तरवादी शमसूल हक अंसारी को गत प्रधान मु0 कुदरत अंसारी का ज्येष्ठ पुत्र दिखाते हुए उत्तराधिकारी के आधार पर मु0 शमसूल हक को मौजा–वास्ता का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया।

लेकिन जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन में दर्शाये गये वंशावली से स्पष्ट होता है कि अली मोहम्मद मौजा के प्रथम प्रधान थे। कम सुनाई देने के कारण उनके सहमति से ही मु0 कुदरत अंसारी प्रधानी कार्य करता था और मु0 कुदरत अंसारी की मृत्यु के बाद प्रथम प्रधान अली मोहम्मद के पुत्र कुदरत अंसारी को मौजा–वास्ता का प्रधान नियुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन मु0 शमसूल अंसारी ने धोखाघड़ी करके एवं अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी को मेल में लाकर मौजा–वास्ता का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा कराया गया। उनका आगे कथन है कि अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निम्न न्यायालय ने मौजा के सौलह आना रैयतों को सही ढंग से नोटिश का तामिला नहीं कराया गया है। जबकि मौजा के सौलह आना रैयत अपीलकर्त्ता का समर्थन करते हैं। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं हैं। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी सं0–1 शमसूल हक अंसारी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता ने अपने अपील आवेदन में गलत तथ्य उद्धृत किया है कि मौजा–वास्ता नं0–226 का अंतिम प्रधान अली मोहम्मद अंसारी थे। सत्य यह है कि मु0 कुदरत अंसारी, पे0–मुस्लिम अंसारी मौजा–वास्ता के अंतिम प्रधान थे। उत्तरवादी मु0 शमसूल हक अंसारी गत प्रधान मु0 कुदरत अंसारी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अपीलकर्त्ता का कथन बिल्कूल ही काल्पनिक, आधारहीन, झूठा एवं मनगढ़त है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता निम्न न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। इसलिए अपीलकर्त्ता निम्न न्यायालय के आदेश से बिक्षुब्ध व्यक्ति नहीं हैं। साथ ही अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन कालबाधित है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन चलने योग्य नहीं है। उनका आगे कथन है कि अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मौजा के सौलह आना रैयतों को नोटिश तामिला कराया गया तथा उत्तरवादी के भाई के द्वारा भी उत्तरवादी के पक्ष में शपथ पत्र देकर समर्थन किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय ने अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आम रैयतों से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उत्तरवादी को उत्तराधिकारी के आधार पर मौजा–वास्ता का प्रधान नियुक्त किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–वास्ता नं0–226 के गत प्रधान कुदरत अंसारी थे। साक्ष्य के रूप में उत्तरवादी सं0–1 की ओर से पट्टा का छाया प्रति प्रस्तुत किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि कुदरत अंसारी के नाम से पट्टा निर्गत है। उत्तरवादी सं0–1 मु0 शमसूल हक अंसारी गत प्रधान कुदरत अंसारी के ज्येष्ठ पुत्र है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने उत्तराधिकारी के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तरवादी मु0 शमसूल हक अंसारी को मौजा–वास्ता नं0–226 का प्रधान नियुक्ति किया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा अली मोहम्मद अंसारी मौजा–वास्ता के प्रधान थे, के आधार पर दावा किया है। लेकिन अली मोहम्मद मौजा–वास्ता के प्रधान थे, इस आशय का कोई भी कागजात अपीलकर्त्ता की ओर से दाखिल नहीं किया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का दावा मान्य योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पी0ए0 केश नं0–79/2017–18 आदेश दिनांक–01.08.2018 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:26:35 +05:30
Location: 192.168.29.8